



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

दूरभाष नं. 0771-2437309 फैक्स नं. 0771-2429385

क्रमांक / 640/विद्यो./2020

रायपुर, दिनांक 01/09/2020

प्रति

प्राचार्य

समस्त मान्यता प्राप्त शालायें

छत्तीसगढ़.

विषय:- कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिये पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन संबंधी विशेष व्यवस्था विषयक.

—0—

छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र 15 जून प्रारंभ होता है, परन्तु केन्द्र सरकार के आदेशानुसार 30 सितम्बर तक सभी शैक्षणिक संस्थाएँ बंद रहेगी. इन परिस्थितियों में कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिये निम्नानुसार विशेष व्यवस्था की गई है:-

01. स्कूल खुलने में होने वाली देरी को दृष्टिगत रखते हुये पाठ्यक्रम में लगभग 30 से 40 प्रतिशत कटौती कर पाठ्यक्रम का माहवार विभाजन किया गया है, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को यह स्पष्ट रहे कि किस माह में उन्हें पाठ्यक्रम का कितना हिस्सा पूर्ण करना है. यह पाठ्यक्रम छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in पर दिनांक 03 सितम्बर 2020 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।
02. सभी प्राचार्यों को निर्देश दिये जाते हैं कि कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के प्रत्येक सेक्शन के लिये अलग-अलग क्लास टीचर नियुक्त करें तथा क्लास टीचर से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ एक व्हाट्सप ग्रुप का निर्माण कर लें तथा विद्यार्थियों एवं क्लास टीचर के बीच इस व्हाट्सप ग्रुप के माध्यम से लगातार संपर्क रखें. क्लास टीचर अपने-अपने व्हाट्सप ग्रुप के सभी विद्यार्थियों को विषय से संबंधित कठिन अवधारणायें, व्हाट्सप के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित करें तथा कठिनाईयों को दूर करेंगे.
03. कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिये मण्डल द्वारा घटे हुये निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार लगातार ऑनलाईन कक्षाएँ आयोजित की जायेगी. जिनका प्रसारण यू-ट्यूब चैनल पर किया जायेगा. इन ऑनलाईन कक्षाओं में पूरे प्रदेश के विद्यार्थी एक साथ भाग ले सकेंगे. ऑनलाईन कक्षाओं को रिकार्ड करके मण्डल के यू-ट्यूब चैनल पर भी दिखाया जायेगा तथा स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.cgschool.in पर लिंक किया जायेगा. जिससे विद्यार्थी यदि चाहें तो किसी भी समय इन कक्षाओं के रिकार्ड किये गये विडियो दोबारा देख सकेंगे.

ऑनलाईन कक्षाओं का साप्ताहिक टाइम-टेबल मण्डल की वेबसाइट पर दिनांक 05 सितम्बर 2020 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा. जिससे विद्यार्थी टाइम-टेबल के अनुसार मण्डल की यू-ट्यूब चैनल पर जाकर ऑनलाईन कक्षाओं में भाग ले सकें.

04. प्रत्येक महीने के पाठ्यक्रम के लिये मण्डल द्वारा विषयवार असाइनमेंट तैयार किया जायेगा और उसे मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा और असाइनमेंट पीडीएफ के रूप में सभी स्कूलों को भेजा जायेगा. स्कूलों के प्राचार्य, क्लास टीचर के माध्यम से असाइनमेंट सभी विद्यार्थियों को अपने-अपने व्हाट्सप ग्रुप तथा SMS के माध्यम से भेजेंगे तथा विद्यार्थियों के द्वारा घर पर ही असाइनमेंट उत्तरपुस्तिका में हल करके प्रत्येक महीने के 15 तारीख को स्कूल में जमा किया जायेगा.
05. संबंधित विषय के शिक्षक स्कूल कार्यालय में विद्यार्थियों द्वारा जमा किये गये असाइनमेंट का मूल्यांकन करेंगे.
06. असाइनमेंट के मूल्यांकन के पश्चात् प्राप्त अंकों को मण्डल के पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे.
07. यदि किसी विद्यार्थी को असाइनमेंट में कम अंक प्राप्त होते हैं तो उस विद्यार्थी को विशेष रूप से पढ़ाने की व्यवस्था स्कूल द्वारा की जावे.
08. इस प्रकार असाइनमेंट में प्राप्त अंकों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 की मण्डल परीक्षा के लिये आंतरिक मूल्यांकन का आधार बनाया जायेगा.

उपरोक्तानुसार व्यवस्था करने से प्रत्येक विद्यार्थी की पढ़ाई का मूल्यांकन हो सकेगा और कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिये विशेष ध्यान दिया जा सकेगा. उपरोक्त व्यवस्था माह-सितम्बर 2020 से लागू की जावेगी.



(प्रोफेसर व्ही.के. गोयल)

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

पृ.क्र./ 641 /विद्यो./2020

रायपुर, दिनांक 01/09/2020

प्रतिलिपि:—

01. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा-रायपुर, अटल नगर (छ.ग.),
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा-रायपुर, अटल नगर (छ.ग.),
03. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन नवा-रायपुर, अटल नगर (छ.ग.),
04. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन नवा-रायपुर, अटल नगर (छ.ग.),
05. संचालक, एससीईआरटी, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.),
को सादर सूचनार्थ,
06. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, छत्तीसगढ़,
07. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.



सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर